उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

5/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील
उभय पक्ष द्वारा प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 4,9
एवं धारा 151 CPC पर जवाब पेश नहीं कर
सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया।
बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वकील सायल
का बहस में कथन है कि सायल का मूल
दावा पत्रावली मु.नं. 17/2010 उनवान नाथूलाल
बनाम जयसिंह वगै. दिनांक 13-6-2019 को
अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर
दिया गया है। जिसका ज्ञान सायल को
को दिनांक 7-11-2019 को कॉज लिस्ट का
अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है। सायल
द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4,9 एवं
धारा 151 CPC पेश अन्दर म्याद पेश किया
जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर मूल दावे की पत्रावली मु.नं. 17/10
उनवान नाथूलाल बनाम जयसिंह वगै. को

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुन: सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जावे। ताकि उभय पक्ष को राहत प्रदान हो सके। बहस वकील उभय पर सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा बहस पर मनन किया गया। मुताबिक सायल द्वारा अपने प्रा. पत्र के साथ पेश नकल के अनुसार सायल का मूल दावा मु.न. 17/10 उनवान नाथुलाल बनाम जयसिंह वगै. दिनांक 13-8-19 को वकील उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिससे पुन: नम्बर पर लिया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्याय उचित है। अत: सायल का प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 4,9 व धारा 151 CPC राशि 500/- रुपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा दावा मु.न. 17/10 उनवान नाथुलाल बनाम जयसिंह वगै. को पुन: सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल किया जावे। तथा मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। यह निर्णय आज दिनांक 5-12-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप जिला कलेक्टर बामनवास (जिला-स०मा०)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.27 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: